न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 6/2018(प्रार्थना पत्र) दायर दिनांक– 23.2.2018

फैसल दिनांक – 9.4.2018

अनवान

1– कविता पुत्री शंकर भील निवासी पादरा तहसील सागवाडा

(प्रार्थीया)

बनाम

1– श्री हरीश पिता शंकर सुथार निवासी पादरा

2– केशवलाल पिता शंकर सुथार निवासी पादरा

3– भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थी – श्री राकेश बुनकर

वकील अप्रार्थी संख्या 1 – श्री मयंक दोसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट एवं 212 राज0टि0एक्ट

निर्णय

प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072–75 की खेवट(खतोनी) संख्या नई पुरानी 1/1 बिलानाम खसरा नम्बर 5244 रकबा दो बीघा सोलह बिस्वा किस्म मगरी में से दो बिस्वा जमीन पर लम्बे समय से काबिज है एवं उक्त बिलानाम भूखण्ड की पेनाल्टी राजस्व कोष में अदा कर रही है एवं अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 7004/5079 रकबा तीन बीस्वा आबादी भूमि उक्त खसरानम्बर 5244के पास स्थित होकर ग्राम पंचायत पादरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 80गूणा 43फीट का पट्टा आवंटित किया है ,उक्त दोनो खसरा नम्बरों के बीच लम्बे समय से सीमा विवाद चल रहा है । वादग्रस्त आराजीयात का पूर्व में सिमांकन कराया पर्चा मौका अनुसार खसरा नम्बर 7004/5079 मौजा पादरा एवं खसरानम्बर 5244 मौजा ओड के बीच की सीमा बताई गई । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आबादीशुदा भूमि खसरा नम्बर 7004/5079 रकबा तीन

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

बिस्वा आबादी स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2613 वर्गफीट होता है जबकि अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 ने आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत पादरा से सांठगांठ कर 80गूणा 43 जिसका कुल क्षेत्रफल 3440 वर्गफीट का पट्टा फर्जी एवं अवैद्ध तरीके से आवंटित कर दिया है जो न्यायोचित नही है । प्रार्थिया का उक्त खसरा नम्बर पर लम्बे समय से कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है एवं राजस्व विभाग द्वारा पेनाल्टी राशि भी जमा की है । यहकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जो हटाया जाना आवश्यक है । प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र के अन्त में वादग्रस्त आराजीयात 7004/5079 व 5244 के मध्य सीमा विवाद की जानकारी तहसीलदार सागवाडा से कराने,डिक्री पारित की जाने तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत पादरा द्वारा जारी अवैद्ध पट्टे अनुसार परकोटा निर्माण के कार्य को तुरन्त प्रभाव से रूकवाया जाने निवेदन किया गया है ।

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि मे शपथ पत्र एवं जमाबन्दी की नकल ,पर्चा मोका धारा 91 की नोटिस एवं पेनाल्टी की रसीदें प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किए गए । अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए ।

प्रार्थना पत्र में कार्यवाही के दौरान प्रारम्भिक स्तर पर वकील अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा वादग्रस्त आराजी बिलानाम एंव आबादी की होने की आपत्ति जताई जाने पर पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया ।

वादग्रस्त आराजीनम्बर 5244 रकबा दो बीघा सोलह बिस्वा राजकीय बिलानाम एवं खसरा नम्बर 7004/5079 रकबा 3 बिस्वा आबादी दर्ज रेकार्ड है । राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु (लेण्ड रेकार्ड्स)रूल्स के नियम 34 (ग) में भी यह स्पष्ट है कि कोई भी खातेदार या गैर खातेदार अभिधारी अपने खेत के सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए आवेदन कर सकता है । प्रार्थिया द्वारा बिलानाम भूमि के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रार्थिया खातेदार एवं गैर खातेदार नही होकर अतिकमी है । इसके अतिरिक्त प्रार्थिया ने पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भी आपत्ति की है । पंचायत द्वारा जारी पट्टा आराजी नम्बर 7004/5244 रकबा 3 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज है एवं आबादी भूमि के लिए यह न्यायालय सक्षम नही है इसके लिए प्रार्थिया पट्टा निरस्ती की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में करने स्वतन्त्र है ।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर खारीज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक .... को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा